Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 24-08-2006

Participants : Dubey Shri Chandra Shekhar

an>

Title : Need to check alleged irregularities in the functioning of South-Eastern Coal Limited.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोल कंपनियों में कंपनी के पदाधिकारी तथा निजी ठेकेदारों की मिलीभगत से कोल कंपनियों को हो रहे करोडों के नुकसान की ओर आकृट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि निम्नलिखित तथ्यों से प्रतीत हो रहा है कि कोल इंडिया लि0 की इकाई साउथ ईस्टर्न कोल लि0 के पदाधिकारी डी0जी0आर - सी0आइ0एल और इ0एस0एम0 ठेकेदार के बीच हुए एम0ओ0यू0 को नजरअंदाज करते हुए ठेकेदार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की साजिश की तहत मैसर्स आर्यन के एजेंट के तरह कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित तथ्य इस बात को इंगित करते हैं-

1. अनलोडिंग प्लांट पर वे-ब्रिज का प्रावधान नहीं करना।

2. कुल क्षमता केवल 7.00 मिलियन होने के बावजूद मैसर्स आर्यन को 10.71 मिलियन टन कच्चा कोयला उठाने की अनुमति देना तथा मैसर्स आर्यन को एफ ग्रेड कोल की जगह डी/एफ ग्रेड कच्चा कोयला दिया जाना जिसमें कंपनी को करोड़ों का नुकसान है।

3. जीडीआर-सीआइएल और इएसएम ठेकेदार के साथ हुए समझौता (एमओयू) का पालन नहीं करते हुए खने से सतह, फेस टू सरफेस, पर लगभग 9 से 10 किमी0 की दूरी के लिए 3 से 4 गुणा अधिक दर से भुगतान करना।

4. एमओयू के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स वाटर हाउस एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के आधारित दर पर ही इएसएम ठेकेदार को दिया जाना है किंतु इस प्रावधान को नजरअंदाज कर ऊंचे दर पर भुगतान देना।

5. सभी कानूनी पहलूओं को ताक पर रखकर मैसर्स आर्यन को सीएमपीडीआइएल द्वारा घोाित डम्प लैंड पर वासरी लगाने की अनुमति दिया जाना।

6. कोल इंडिया लि0 की इक्वायरी रिपोर्ट पत्र सं0 सीआइएल/री.जे./101/एम/1470 दिनांक 5.11.2004 का अनुपालन नहीं करना, साउथ ईस्टर्न कोल लि0 के कार्यकलापों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में बिन्दुवार जांच सतर्कता विभाग के द्वारा कराकर आ वश्यक कार्रवाई की जाये ताकि कोल कंपनी को हो रहे करोड़ों के नुकसान को रोका जा सके।